सर्वोच्च प्राथमिकता

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 4( )पंरावि/पीसी/नि.रा.यो./2012–13 1503 जयपुर, दिनांक : 09/10/2012

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, समस्त।

विषयः– **पंचायतीराज संस्थाओं को आवंटित निर्बन्ध राशि के उपयोग के कम में।**

पंचायतीराज संस्थाओं को विभिन्न योजनाओं यथा– 13वां वित्त आयोग, चतुर्थ राज्य वित्त आयोग तथा राज्य निर्बन्ध राशि योजनाओं में निर्बन्ध राशि के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। इस राशि के उपयोग हेतु विभाग द्वारा दिशा निर्देश जारी किये गये है। इन योजनाओं की राशि का उपयोग अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्र में स्थायी परिसम्पतियों के निर्माण कार्य कराए जाने के लिए किया जाता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए अधिकांशतः आन्तरिक सड़कों का मय नाली निर्माण के कार्य (सी.सी.प्रीकास्ट इन्टरलोकिंग ब्लाक, पत्थर/ईंट खरंजा के माध्यम से) तथा जल संरक्षण के कार्य कराए जाने की मांग अधिक रहती है। पंचायतीराज संस्थाओं के माध्यम से इस प्रकार के कार्य अधिक से अधिक कराए जा सके, इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि 13वां वित्त आयोग, चतुर्थ राज्य वित्त आयोग तथा राज्य निर्बन्ध राशि योजनाओं में निर्बन्ध राशि के रूप में उपलब्ध कराई जा रही राशि में से अधिकतम 60 प्रतिशत राशि का उपयोग इस प्रकार के कार्यों पर किया जावे। उक्त कार्य विभाग द्वारा दिनांक 21.09.2012 को जारी परिपत्र के अनुसार निविदा आमंत्रित कर किये जा सकते है।

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत भी इस प्रकार के कार्य कराया जाना अनुमत है। पंचायतीराज संस्थाए, यदि चाहे तो महात्मा गांधी नरेगा योजना की वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित कार्य कन्वर्जेन्स के माध्यम से उक्त योजनाओं में भी करा सकते है, परन्तु कन्वर्जेन्स के कार्यों में इस बात का ध्यान रखा जावे कि तकमीने में अलग–अलग योजनाओं का स्पष्ट वर्गीकरण हो एवं महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कराए जाने वाले कार्य में योजना के दिशा निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित हो।

(सी.एस.राजन)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक राज्य मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
6. सदस्य सचिव, राज्य वित्त आयोग, चतुर्थ, राज. जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग, राज. जयपुर।
8. जिला कलेक्टर, समस्त।
9. मुख्य लेखाधिकारी, मुख्यालय।
10. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
11. अधिशाषी अभियन्ता, जिला परिषद, समस्त।
12. सहायक अभियन्ता, जिला परिषद, समस्त।
13. लेखाधिकारी, जिला परिषद, समस्त।

शासन सचिव एवं आयुक्त